महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

प्रलिम्सि के लयि:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम (1948).

मेन्स के लयि:

गरीबी, सरकार की नीतियाँ और हस्तक्षेप, वकिास से संबंधति मुद्दे, MGNREGA और संबंधति मद्दे

चर्चा में क्यों?

अजीम प्रेमजी वशि्ववदि्यालय द्वारा चार राज्यों (बहिार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश) में कयि गए एक अध्ययन के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियिम (मनरेगा) ने कोवडि-19 **प्रेरति लॉकडाउन** के कारण हुए आय नुकसान में 20-80% की भरपाई करने में मदद की।

- हालाँकि, **सर्वेक्षण कयि गए 39% परवािरों को कोवडि-19 वर्ष में एक भी दनि का काम नहीं मलिा,** क्योंकि **पर्याप्त कार्य का सृजन नहीं हो रहा था।**

मनरेगा:

- **परचिय:** मनरेगा दुनयिा के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
  - योजना का प्राथमकि उद्देश्य कसिी भी ग्रामीण परविार के सार्वजनकि कार्य से संबंधति अकुशल शारीरकि कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वत्तिीय वर्ष में **100 दनिों के रोज़गार की गारंटी देना है।**
  - **वर्ष 2022-23 तक मनरेगा के तहत 15.4 करोड़ सक्रयि श्रमकि हैं।**
- **कार्य का कानूनी अधकिार:** पहले की रोज़गार गारंटी योजनाओं के वपिरीत मनरेगा का उद्देश्य अधकिार-आधारति ढाँचे के माध्यम से चरम नरि्धनता के कारणों का समाधान करना है।
  - लाभार्थयिों में कम-से-कम एक-तहिाई महलिाएँ होनी चाहयि।
  - **मज़दूरी का भुगतान न्यूनतम मज़दूरी अधनियिम, 1948** के तहत राज्य में कृषि मज़दूरों के लयि नरि्दिष्ट वैधानकि न्यूनतम मज़दूरी के अनुरूप कयिा जाना चाहयि।
- **मांग-प्रेरति योजना:** मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग यह है कि इसके तहत कसिी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के 15 दनिों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थति गारंटी प्राप्त है, जसिमें वफिल होने पर उसे 'बेरोज़गारी भत्ता' प्रदान कयिा जाता है।
  - यह मांग-प्रेरति योजना श्रमकिों के स्व-चयन (Self-Selection) को सक्षम बनाती है।
- **वकिेंद्रीकृत योजना:** इन कार्यों के योजना नरि्माण और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को महत्त्वपूर्ण भूमकिाएँ सौंपकर वकिेंद्रीकरण की प्रक्रयिा को सशक्त करने पर बल दयिा गया है।
  - अधनियिम में आरंभ कयि जाने वाले कार्यों की सफिारशि करने का अधकिार ग्राम सभाओं **को सौंपा गया है और इन कार्यों को कम-से-कम 50% उनके द्वारा ही नषि्पादति कयिा जाता है।**

//

योजना के कार्यान्वयन से संबद्ध समस्याएँ:

- **धन के वितरण में देरी और अपर्याप्तता:** अधिकांश राज्य मनरेगा द्वारा निर्दिष्ट **15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से मज़दूरी भुगतान करने में विफल रहे हैं।** इसके साथ ही मज़दूरी भुगतान में देरी हेतु श्रमिकों को मुआवज़ा भी नहीं दिया जाता है।
  - इसने योजना को एक आपूर्ति-आधारित कार्यक्रम में बदल दिया है और इसके परिणामस्वरूप श्रमिक इसके तहत काम करने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
  - इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मिलते रहे हैं और इसे स्वयं **वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया है कि मज़दूरी भुगतान में देरी धन की अपर्याप्तता का परिणाम है।**
- **जाति आधारित पृथक्करण:** भुगतान में देरी के मामले में जाति के आधार पर भी उल्लेखनीय भिन्नताएँ नज़र आई हैं, जबकि निर्दिष्ट सात दिनों की अवधि के अंदर अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिये 46% और अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिये **37% भुगतान सुनिश्चित होता नज़र आया था, गैर-एससी/एसटी श्रमिकों के लिये यह मात्र 26% था।**
  - मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे गरीब राज्यों में जाति-आधारित पृथक्करण का नकारात्मक प्रभाव तीव्र रूप से महसूस किया गया है।
- **पंचायती राज संस्थाओं की अप्रभावी भूमिका:** बेहद कम स्वायत्तता के कारण ग्राम पंचायतें इस अधिनियम को प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने में सक्षम नहीं हैं।
- **बड़ी संख्या में अधूरे कार्य:** मनरेगा के तहत कार्यों को पूरा करने में देरी हुई है और परियोजनाओं का निरीक्षण अनियमित रहा है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत संपन्न कार्य की गुणवत्ता व परिसंपत्ति निर्माण समस्याजनक रही है।
- **जॉब कार्ड में धांधली:** फर्जी जॉब कार्ड, कार्ड में फर्जी नाम शामिल करने, अपूर्ण प्रविष्टियाँ और जॉब कार्डों में प्रविष्टियाँ करने में देरी जैसी भी कई समस्याएँ मौजूद हैं।

आगे की राह

- विभिन्न **सरकारी विभागों और कार्य आवंटन तथा कार्य प्रणाली** के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।
- भुगतान अदायगी के मामले में व्याप्त कुछ विसंगतियों को भी दूर करने की ज़रूरत है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र की महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में **औसतन 22.24% कम आय प्राप्त होती है।**
- राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि **हर गाँव में सार्वजनिक कार्य शुरू हो।** कार्यस्थल पर आने वाले श्रमिकों को बिना किसी देरी के तुरंत काम दिया जाना चाहिये।
- ग्राम पंचायतों को कार्यों को मंजूरी देने, कार्य की मांग पर इसकी पूर्ति करने और समयबद्ध मज़दूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु **पर्याप्त संसाधन, शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्व सौंपे जाने की आवश्यकता है।**
- मनरेगा को सरकार की अन्य योजनाओं, जैसे- ग्रीन इंडिया पहल**, स्वच्छ भारत अभियान आदि के साथ संबद्ध किया जाना भी उपयुक्त होगा।**

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न:

दृष्टि The Vision

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम" से लाभान्वित होने के पात्र हैं? (2011)

(a) केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य
(b) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के वयस्क सदस्य
(c) सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य
(d) किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) जो विश्व का सबसे बड़ा काम गारंटी कार्यक्रम है, को 25 अगस्त, 2005 को अधिनियमित किया गया था। **यह वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल श्रम करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोज़गार के लिये कानूनी गारंटी प्रदान करता है।**
- इसका उद्देश्य 'कार्यों' (परियोजनाओं) के माध्यम से स्थायी गरीबी के कारणों को संबोधित करके सतत् विकास सुनिश्चित करना है। इन कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को महत्त्वपूर्ण भूमिका देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मज़बूत करने पर भी ज़ोर दिया जा रहा है।
- **अतः विकल्प D सही उत्तर है।**

[स्रोत: द हिंदू]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mahatma-gandhi-national-rural-employment-guarantee-act-mgnrega